

# फर्द अहकाम

पदा को

बनाम च. धनाथ को

नाम न्यायालय SDO 21/19

केस संख्या 12/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5.8.20	वकील वादी द्वारा वकील वादीने उ विवादिगण की शक्ति रजिस्ट्रार लखी है। कबाल पहा पूर्व के कबाल दिया जा चुका है। प्रमाण लिख के एक महीने के बाद लिखा जाता है कि साजामी तरीके पर या शक्ति रजिस्ट्रार लखी की शक्ति पर ही वकील वादी उदा (वकिर सुप्रदा, जाको) पर प्रामाणिक डिनोय 24.8.20 को फर्द है।
	24.8.20	उप खण्ड 19 शाहपुरा जिला जयपुर अभियुक्त/अभिभाषक संघ ने केसेमा वकल अन्य प्रशासनिक कार्य स्थगित रखा/ E. J. साहब प्रभावली मत आदेशानुसार दि. 17/9/20 को पेश हो। (सिंडर)
	17/9/20	अन्य प्रशासनिक कार्य स्थगित रखा/ E. J. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य के व्यक्त हैं। प्रभावली मत आदेशानुसार दि. 21/9/20 को पेश हो। (सिंडर)
	22.9.20	आज मह प्रजावादी वादी वकील द्वारा दावा विद्रा जा. पर पेश होते है पेश हुए वकील वादीने धर्मग पर के लखी लिखा कि परशिक के मध्य कानि को लेना कोई विवाद रहते जाहि वकल डर दावा विद्रा विसे जाने डर निवेदन लिखा। प्रजावादी का मपलेकन विद्रा वकल में प्रजावादी लखी के विचारव्यक्ति ही गले वकील वादी का विद्रा धर्मग पर लखी लिखा जाता है। प्रभावली के लखी को डर दावा विद्रा सफटा हो तथा नखल लेवक है।

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला जयपुर